संख्या-227/2016/814/22-2-2016-17(197)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 16 नवम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फिरोज पुत्र श्री निसार अहमद, निवासी जनपद -कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-7/(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फिरोज पुत्र श्री निसार अहमद, निवासी-98/179 गोरा कब्रितान, थाना-बेकनगंज जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 30.11.1998 को सायं लगभग 04:50 बजे रूपये 3,40,000/- से भरी अटैची किशनलाल को तमंचा दिखाकर छिनना चाहा विरोध करने पर तमंचे की बट से मारा और रूपये से भी अटैची छीन ले गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-1220/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-307, 394, 411, 25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-19, कानुपर नगर द्वारा दिनांक 19-11-2011 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.09.2015 तक 04 वर्ष 04 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 06 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी मे आता है, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की सम्भावना है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने बन्दी के जेल से छूटने पर परिवारीजन नियंत्रण में नहीं रख पायेंगे, जिससे बन्दी अपराध कर सकता है की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट, कानपुर नगर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी फिरोज पुत्र श्री निसार अहमद, निवासी जनपद-कानपुर नगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी फिरोज (बन्दी संख्या-1899/11) पुत्र श्री निसार अहमद निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 227/2016/814(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-227/2016/814/22-2-2016-17(197)/2016

दिनांक 16 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फिरोज पुत्र श्री निसार अहमद, निवासी-98/179 गोरा कब्रितान, थाना-बेकनगंज जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 30.11.1998 को सायं लगभग 04:50 बजे रूपये 3,40,000/- से भरी अटैची किशनलाल को तमंचा दिखाकर छिनना चाहा विरोध करने पर तमंचे की बट से मारा और रूपये से भी अटैची छीन ले गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-1220/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-307, 394, 411, 25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट न0-19, कानुपर नगर द्वारा दिनांक 19-11-2011 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.09.2015 तक 04 वर्ष 04 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 06 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी मे आता है, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की सम्भावना है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने बन्दी के जेल से छूटने पर परिवारीजन नियंत्रण में नहीं रख पायेंगे, जिससे बन्दी अपराध कर सकता है की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी फिरोज पुत्र श्री निसार अहमद, निवासी जनपद-कानपुर नगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।